



भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

File No. Review/12/2018/Himachal Pradesh (Dist.)/RU-I

Dated: 18.02.2019

सेवा में,

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | मुख्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला (हिमाचल प्रदेश)
Fax: 0177 – 2621813.
Tel: 0177 – 2621022, 2880714.
Email: cs-hp@nic.in | 2 | सचिव,
जनजातीय कार्य मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली |
|---|--|---|--|

Sub: माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा जिलों का दिनांक 24.10.2018 से 26.10.2018 तक का प्रवास की समीक्षा रिपोर्ट।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.10.2018 का संदर्भ ग्रहण करें। माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा तथा चंबा जिलों का दिनांक 24.10.2018 से 26.10.2018 राजकीय प्रवास किया गया। माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा उक्त जिलों की समीक्षा की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

आपसे निवेदन है कि समीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसंशाओं पर की गई / की जाने वाली कार्यवाही की सूचना से आयोग को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार/ Rajeshwar Kumar)

सहायक निदेशक

Tel: 24641640

Copy to:

- (1) PS to Hon'ble Vice- Chairperson, NCST
- ✓ (2) NIC (for uploading on the website of the Commission).

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

राजकीय प्रवास दिनांक 24-26 अक्टूबर 2018

जिला - कांगड़ा तथा चंबा, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रीय दौरा।

सामाजिक - आर्थिक विकास समीक्षा रिपोर्ट

1.	दौरा करने वाले पदाधिकारी का नाम	सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार तथा डॉ० ललित लड्डा, निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
2.	दौर की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	दिनांक 24/10/2018 से 26/10/2018 तक
3.	दौरा किया गया स्थान	कांगड़ा जिला - रिड़कमार और (शाहपुर)सिंहता तथा चम्बा ज़िले के चुवाड़ी और नूरपुर क्षेत्र
4.	मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण / संगठनों से मिले	1. श्री विक्रम जरियाल, स्थानीय विधायक। 2. श्री राकेश पठानिया, विधायक, नूरपुर। 3. श्री त्रिलोक कपूर, उपाध्यक्ष, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा। 4. श्री सुरिन्दर कपूर, उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री। 5. श्री कमल शर्मा, उपाध्यक्ष। 6. श्री रमेश जरियाल, जिला अध्यक्ष। 7. गायत्री कपूर, जिला परिषद सदस्य। 8. पूर्व जिला परिषद सदस्य नैनो देवी चंवा। 9. जिला परिषद के पूर्व चैयरमेन, देशराज शर्मा। 10. श्री सरदारी लाल। 11. श्री पुन्नूराम चौहान। 12. श्री रमेश कौशल। 13. मालविका पठानिया। 14. श्री केवल सिंह। 15. श्री भवानी पठानिया।

16. गद्दी यूनियन के वरिष्ठ नेता श्री मदन भरमौरी।
 17. श्री सोम सिंह।
 18. डॉ० सी आर कौशल सहित अन्य प्रतिनिधि एवं अधिकारी।





5. दौरे के मुख्य बिन्दु:

1. एकलव्य आश्रम छात्रावास भटियात विधानसभा क्षेत्र में खोला जाये।
2. पहाड़ी एवं दुर्गम जंगलो में निवास करने वाले जनजातियों की जीविकोपार्जन हेतु पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनुरोध किया।
3. पहाड़ी एवं दुर्गम जंगलो में यातायात की सुविधा यानी सड़को के निर्माण हेतु विषम परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए सड़को के निर्माण हेतु अतिरिक्त बजट के प्रावधान करने की आवश्यकता है।
4. पहाड़ी एवं दुर्गम जंगलो में घुमन्तु जनजातियों हेतु शेड के निर्माण करने की आवश्यकता है ताकि मौसम के विपरीत परिस्थितियों में जानमाल की रक्षा कर सके।
5. तकनीकी एवं शिक्षा तथा रोजगार को बढ़ावा देने वाले शिक्षण सस्थानो की स्थापना की जानी चाहिए।
6. एँफ़ आर ए के तहत जनजाति बाहुल्य क्षेत्रो में स्वीकृति की सीमा वनमंडलाधिकारी (ओ एँफ़ डी) को एक हैक्टर से बढ़ाकर पांच हैक्टर करवाने की मांग की जाए।
7. पहाड़ी एवं दुर्गम स्थानों में मोबाइल टावर स्थापित करने की मांग रखी।
8. बजट का आवंटन जनजातियों की जनसँख्या के आधार पर किया जाए।
9. जनजाति सलाहकार परिषद् के गठन किया जाये।
10. वन क्षेत्रो में निवास करने वाले जनजातियों के लिए कब्रिस्तान/शमशान के निर्माण किया जाये आदि।

6

प्रशासनिक बैठक

आयोग के माननीय उपाध्यक्ष ने कांगड़ा ज़िले के शाहपुर में तथा चम्बा ज़िले के चुवाड़ी और नूरपुर क्षेत्र वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामाजिक आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और इसके पश्चात् आयोग के माननीय उपाध्यक्ष में उपस्थित समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार की अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्राथमिकता से लागू करें ताकि इस वर्ग के अधिकाँश लोगों को उनका लाभ मिल सके। आयोग के उपाध्यक्ष ने वनों में निवास करने वाले जनजाति परिवारों को वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पट्टो का आवंटन किया जाए। उपायुक्त श्री हरिकेश मीणा, पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका, एस.डी.ओ. श्री बच्चासिंह, प्रोजेक्ट अधिकारी श्री गौतम शर्मा तथा विभिन्न जिलास्तर के अनेक अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।



Anusuiya
 सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
 उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार/Govt. of India
 नई दिल्ली/New Delhi

4/6



7

प्रेस वार्ता

माननीय उपाध्यक्ष ने कांगड़ा ज़िले रिडकमार (शाहपुर) और सिहुंता तथा चम्बा ज़िले के के चुवाड़ी और नूरपुर क्षेत्र के स्थानीय पत्रकारों से हिमाचल की विभिन्न जनजातियों की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराते हुए विभिन्न विभागों को दिए गए निर्देशों से अवगत कराया जिनमें गद्दी जनजाति पर हुए लाठीचार्ज के संबंध में प्रशासन से रिपोर्ट मींगी गई. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पहाड़ी और जंगलो में निवास करने वाले जनजातियों को प्रशासन द्वारा पट्टे नहीं उपलब्ध करने पर चिंता व्यक्त की और प्रशासन को निर्देश दिया गया की जल्दी से जल्दी समीक्षा करके पट्टों का वितरण किया जाये | इसके अलावा जनजाति क्षेत्रों में एकलव्य आश्रम छात्रावास, जनजाति भवन के निर्माण, जनसंख्या के आधार पर बजट के आवंटन में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन प्रदान करने की जानकारी पत्रकार बंधुओं को प्रदान की |



Anusuiya
 सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
 उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार/Govt. of India
 नई दिल्ली/New Delhi

8	आयोग अनुशांसा सुझाव	की / माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के उपरांत, राज्य सरकार को निम्न बिन्दुओं पर समुचित कदम उठाने की अनुसंशा की: (क) राज्य सरकार, केंद्र एवं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिये चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्राथमिकता से लागू करें, ताकि इस वर्ग के अधिकांश लोगों को उनका लाभ मिल सके। (ख) वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, जंगलों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पट्टा आवंटन करने हेतु तत्काल कार्यवाई करें। (ग) एफ आर ए के तहत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वीकृति की सीमा वनमंडलाधिकारी (डी एफ ओ) को एक हैक्टर से बढ़ाकर पांच हैक्टर करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाई करें। (घ) भटियात विधानसभा क्षेत्र में एकलव्य आश्रम छात्रावास खुलवाने हेतु आवश्यक कार्यवाई करें। (ङ) पहाड़ी एवं दुर्गम जंगलो में यातायात की सुविधाओं को मजबूत बनाए जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा ओर फलस्वरूप, निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के जीविकोपार्जन हेतु संसाधन बनेंगे। (च) पहाड़ी एवं दुर्गम जंगलो में घुमन्तु अनुसूचित जनजातियों के विश्राम तथा उनकी भेड़ / बकरियों की सुरक्षा के लिए शेडों का निर्माण कराये । (छ) तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले शिक्षण संस्थानों की स्थापना कराये। (ज) पहाड़ी एवं दुर्गम स्थानों में मोबाइल टावर स्थापित करवाये। (झ) बजट का आवंटन राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसँख्या के आधार पर करने हेतु कार्यवाई करें। (ट) वन क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातियों के लिए कब्रिस्तान/शमशान के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाई करें।
---	---------------------------	--

(सुश्री अनुसुईया उइके)

उपाध्यक्ष,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली
 सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
 उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार/Govt. of India
 नई दिल्ली/New Delhi